

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -288/2023

अनवान : -

1. राधेश्याम पुत्र आत्माराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. प्रताप सिंह जांगिड़ पुत्र आत्माराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
2. रामकुमार पुत्र काशीराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
3. रोहिताश कुमार जांगिड़ पुत्र रामजीलाल जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
4. पारी देवी पत्नी मोहरसिंह जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
5. नरेश कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
6. रमेश कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
7. रणजीत पुत्र काशीराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
8. सावित्री उर्फ सावत्री पुत्री काशीराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
9. कलावती पुत्री आत्माराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
10. इन्द्रवती पुत्री आत्माराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
11. किरसना उर्फ कृष्णा पुत्री आत्माराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
12. सुमन पुत्री मोहरसिंह जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
13. ममता पुत्री रामजीलाल जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
14. मिनू देवी पुत्री रामजीलाल जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर ।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक: 12/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 394/369 के खसरा नं. 598 की कुल 5.2730 है० भूमि व रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 193/12 की कुल 16.9450 है० भूमि व रोही मौजा ललाना बास श्योपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 24/24 की कुल 2.4150 है० भूमि मृतक आत्माराम पुत्र काशीराम व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 व प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 के मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।



उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है ।

प्रतिवादीया संख्या 8 जो कि वादी की बुआ है व प्रतिवादीया संख्या 9 ता 11 की वादी की बहिने है तथा प्रतिवादीया संख्या 12 जो कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 की बहिने व प्रतिवादीया संख्या 4 की पुत्री है प्रतिवादीया संख्या 13 व 14 प्रतिवादी संख्या 3 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी माता, भाईयों भतीजो व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 8 ता 14 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि का पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार - रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 394/369 की कुल 5.2730 है0 भूमि में से मिन पूर्व की 2.6365 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है तथा मिन पश्चिम की 2.6365 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है एवं रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 193/12 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 16.9450 है0 भूमि में से खसरा नं. 166 की 0.759 है0 व खसरा नं. 167 के मिन पश्चिम की 2.0693 है0 भूमि व खसरा नं. 371 के मिन दक्षिण की 1.1877 है0 व खसरा नं. 366 में मिन दक्षिण की 0.607 है0 भूमि को छोड़कर 0.9105 है0 भूमि यानी कुल 4.9265 है0 पर प्रतिवादी संख्या 7 काबिज है तथा खसरा नं. 167 के मिन उत्तर पूर्वी कोना की 1.7043 है0, खसरा नं. 366 के मिन उत्तर की 0.7588 है0 को छोड़कर 0.7587 है0 कुल 2.463 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 काबिज है तथा खसरा नं. 167 के मिन मध्य की 1.1241 है0, खसरा नं. 371 के मिन मध्य की 1.3395 है0 कुल 2.4636 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 काबिज है तथा खसरा नं. 371 के मिन पूर्व की 1.3664 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है तथा खसरा नं. 371 के मिन उत्तर पश्चिम की 1.5314 है0, खसरा नं. 366 के मिन उत्तर की 0.7588 है0 कुल तादादी 2.2902 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है तथा खसरा नं. 167 के मिन पूर्वी दक्षिण की 0.719 है0 भूमि को छोड़कर 2.1093 है0, खसरा नं. 366 के मिन दक्षिण की 0.607 है0 यानी कुल 2.7163 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है तथा खसरा नं. 167 के मिन पूर्वी दक्षिण की 0.719 है0 भूमि पर वादी काबिज है एवं रोही मौजा ललाना बास श्योपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 24/24 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.4150 है0 भूमि से खसरा नं. 49 मिन उत्तर की 0.6106 है0, खसरा नं. 49/197 के मिन उत्तर की 0.3131 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है तथा इसी खाता के तथा खसरा नं. 49 के मिन दक्षिण की 0.8940 है0 खसरा नं. 49/179 के मिन दक्षिण की 0.5969 है0 भूमि पर वादी काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

28

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रतिवादीया स0 1 ता 14 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल

दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण सं० 1 ता 14 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 394/369 के खसरा नं. 598 की कुल 5.2730 है० भूमि व रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 193/12 की कुल 16.9450 है० भूमि व रोही मौजा ललाना बास श्योपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 24/24 की कुल 2.4150 है० भूमि मृतक आत्माराम पुत्र काशीराम व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 व प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 के मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 14 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी सं० 1 ता 14 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 394/369 की कुल 5.2730 है० भूमि में मृतक आत्माराम पुत्र काशीराम व प्रतिवादी संख्या 4 व 8 व प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 598 के मिन पूर्व की 2.6365 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मिन पश्चिम की 2.6365 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 193/12 की कुल 16.9450 है० भूमि में मृतक आत्माराम पुत्र काशीराम, प्रतिवादी संख्या 4, 8 व 12 ता 14 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 166 की 0.759 है० व खसरा नं. 167 के मिन पश्चिम की 2.0693 है० भूमि व खसरा नं. 371 के मिन दक्षिण की 1.1877 है० व खसरा नं. 366 में मिन दक्षिण की 0.607 है० भूमि को छोड़कर 0.9105 है० भूमि यानी कुल 4.9265 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 167 के मिन उत्तर पूर्वी कोना की 1.7043 है०, खसरा नं. 366 के मिन उत्तर की 0.7588 है० को छोड़कर 0.7587 है० कुल 2.463 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा

24

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

नं. 167 के मिन मध्य की 1.1241 है0, खसरा नं. 371 के मिन मध्य की 1.3395 है0 कुल 2.4636 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 371 के मिन पूर्व की 1.3664 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 371 के मिन उत्तर पश्चिम की 1.5314 है0, खसरा नं. 366 के मिन उत्तर की 0.7588 है0 कुल 2.2902 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 167 के मिन पूर्वी दक्षिण की 0.719 है0 भूमि छोड़कर 2.1093 है0, खसरा नं. 366 के मिन दक्षिण की 0.607 है0 यानी कुल 2.7163 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 167 के मिन पूर्वी दक्षिण की 0.719 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा ललाना बास श्योपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 24/24 की कुल 2.4150 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 8, 12 ता 14 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 49 मिन उत्तर की 0.6106 है0, खसरा नं. 49/197 के मिन उत्तर की 0.3131 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 49 के मिन दक्षिण की 0.8940 है0 खसरा नं. 49/179 के मिन दक्षिण की 0.5969 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक नजरिया नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...12/5/23.....को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-मेघाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -288/2023

अनवान : -

1. राधेश्याम पुत्र आत्माराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. प्रताप सिंह जांगिड़ पुत्र आत्माराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
2. रामकुमार पुत्र काशीराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
3. रोहिताश कुमार जांगिड़ पुत्र रामजीलाल जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
4. पारी देवी पत्नी मोहरसिंह जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
5. नरेश कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
6. रमेश कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
7. रणजीत पुत्र काशीराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
8. सावित्री उर्फ सावत्री पुत्री काशीराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
9. कलावती पुत्री आत्माराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
10. इन्द्रवती पुत्री आत्माराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
11. किरसना उर्फ कृष्णा पुत्री आत्माराम जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
12. सुमन पुत्री मोहरसिंह जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
13. ममता पुत्री रामजीलाल जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
14. मिनू देवी पुत्री रामजीलाल जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर ।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 288 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होनेपर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 394/369 की कुल 5.2730 है0 भूमि में मृतक आत्माराम पुत्र काशीराम व प्रतिवादी संख्या 4 व 8 व प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 598 के मिन पूर्व की 2.6365 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मिन पश्चिम की 2.6365 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा ललाना बास उत्तरादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 193/12 की कुल 16.9450 है0 भूमि में मृतक आत्माराम पुत्र काशीराम, प्रतिवादी संख्या 4, 8 व 12 ता 14

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 166 की 0.759 है0 व खसरा नं. 167 के मिन पश्चिम की 2.0693 है0 भूमि व खसरा नं. 371 के मिन दक्षिण की 1.1877 है0 व खसरा नं. 366 में मिन दक्षिण की 0.607 है0 भूमि को छोड़कर 0.9105 है0 भूमि यानी कुल 4.9265 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 167 के मिन उत्तर पूर्वी कोना की 1.7043 है0, खसरा नं. 366 के मिन उत्तर की 0.7588 है0 को छोड़कर 0.7587 है0 कुल 2.463 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 167 के मिन मध्य की 1.1241 है0, खसरा नं. 371 के मिन मध्य की 1.3395 है0 कुल 2.4636 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 371 के मिन पूर्व की 1.3664 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 371 के मिन उत्तर पश्चिम की 1.5314 है0, खसरा नं. 366 के मिन उत्तर की 0.7588 है0 कुल 2.2902 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 167 के मिन पूर्वी दक्षिण की 0.719 है0 भूमि छोड़कर 2.1093 है0, खसरा नं. 366 के मिन दक्षिण की 0.607 है0 यानी कुल 2.7163 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 167 के मिन पूर्वी दक्षिण की 0.719 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा ललाना बास श्योपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 24/24 की कुल 2.4150 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 8, 12 ता 14 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 49 मिन उत्तर की 0.6106 है0, खसरा नं. 49/197 के मिन उत्तर की 0.3131 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 49 के मिन दक्षिण की 0.8940 है0 खसरा नं. 49/179 के मिन दक्षिण की 0.5969 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक नजरिया नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...12.5.23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-मेघाना